

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2410
उत्तर देने की तारीख-03/08/2026

समग्र शिक्षा के अंतर्गत मैनपुरी में छात्र-शिक्षक अनुपात की स्थिति

2410. श्रीमती डिम्पल यादव:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) समग्र शिक्षा के अंतर्गत मैनपुरी में छात्र-शिक्षक अनुपात की वर्तमान स्थिति, शिक्षकों की विषय-वार रिक्तियों और एकल-शिक्षक वाले विद्यालयों की संख्या कितनी है;
- (ख) केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2022 से शिक्षकों की भर्ती, पुनर्नियोजन या यौक्तिकीकरण के संबंध में भेजे गए प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की गई है;
- (ग) क्या सरकार ने मैनपुरी में शिक्षकों की कमी या इस संबंध में निर्धारित मानदंडों के किसी भी विपथन का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)**

(क) से (घ): चूंकि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है इसलिए देश के अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। तदनुसार शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तैनाती संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आती है।

सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, नए पदों के सृजन, शिक्षक तैनाती को युक्तिसंगत बनाने और नामांकन में परिवर्तन जैसे कारकों के कारण समय-समय पर शिक्षकों की रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। स्वीकृत पदों और रिक्त शिक्षण पदों से संबंधित आंकड़े संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं।

केन्द्र सरकार समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वायत्त शिक्षक भर्ती बोर्डों अथवा इसी प्रकार के तंत्रों सहित पारदर्शी और योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से रिक्त पदों को भरने की सलाह देती है। प्रतिस्पर्धी चयन, निरंतरता और प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षक आवश्यकता योजना और पूर्वानुमान पर जोर देने के साथ बैठकों और परामर्शों के माध्यम से भर्ती की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर उपयुक्त छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के पैरा 2.3 में प्रत्येक स्कूल में 30:1 और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के उच्च अनुपात वाले क्षेत्रों में 25:1 पीटीआर बनाए रखने पर जोर दिया गया है।

जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सूचित किया गया है, मैनपुरी जिले में सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) 14, 18 और 20.5 है, जो एनईपी 2020 के तहत परिकल्पित मानदंडों के अनुसार है। मैनपुरी जिले में एकल शिक्षक वाले प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 40 है, एकल शिक्षक वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 15 है और एकल शिक्षक वाले माध्यमिक विद्यालयों की संख्या शून्य है।
